न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टी.ए./3374/2004/चूरू

1– शैतानाराम पुत्र चिमनाराम
2– भागुराम पुत्र चिमनाराम
3– नानूराम पुत्र चिमनाराम
4– निराणाराम पुत्र चिमनाराम
सभी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मेहरासर उपाध्यान तहसील सरदारशहर जिला चुरू

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1– बनवारी पुत्र जस्सूराम
2– शान्ति पुत्री जस्सूराम पत्नि रावताराम
3– कृष्णा पत्नि बजाराम
4– शीशपाल पुत्र बजाराम
5– लिछीराम पुत्र बजाराम
6– सुरेन्द्र पुत्र बजाराम
7– गुड्डी उर्फ कमलेश पुत्री बजराम नाबालिग जरिये कुदरती माता मु0 कृष्णा सभी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम चक कानावाला गांव ढाणी जाखडावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

.....प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री सी.आर. मीणा, सदस्य
श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :
श्री योगेन्द्र सिंह अधिवक्तगण।
श्री एन.के. गोयल अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

———

निर्णय

दिनांकः 23–12–2021

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा प्रकरण संख्या 34/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–7–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/ वादीगण आपस में सगे भाई हैं और स्व0 चिमनाराम पुत्र हीराराम के वंशज हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 इस भूमि के लिए राजस्व रिकार्ड में अंकित नाम बृजाराम व जस्सूराम के वंशज है,जो गांव मेहरासर उपाध्यान में निवास नहीं करते है जो जिला श्री गंगानगर के ही वासिंदा हैं स्व0 बृजाराम व जस्सूराम का काफी अर्से पूर्व स्वर्गवास हो गया और ख्यालीराम नाम का कोई व्यक्ति न कभी था न कभी है। यह नाम गलती से राजस्व रिकार्ड में लिखे गये हैं। वादीगण के पिता चिमनाराम पुत्र हरीराम का वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि साबिक खसरा नंबर 12 नया खसरा नंबर 26 व 39 तादादी क्रमशः 6 बीघा 11 बिस्वा, 12 बीघा 1 बिस्वा कुल तादादी 18 बीघा 12 बिस्वा रोही मौजा मेहरासर उपाध्यान तहसील सरदाशहर में जागीर के समय से ही कब्जा चला आ रहा है यानि इस भूमि पर जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ तबसे वादीगण के पूर्वज का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी सूरत में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधनानुसार बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण घाषेणा की जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमि के वादीगण बहिस्सा बराबर के खातेदार काबिज काश्तकार है तथा वादग्रस्त कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादीगण/ अपीलार्थीगण के पूर्वजों के नाम हटाये जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई की डिक्री से वर्जित किया जावे कि वे वादीगण की भूमि कमें दख्लंदाजी नहीं कर न किसी अन्य से करावे तथा न ही अन्य को हस्तांतरण करें। प्रतिवादीगण को नोटिस प्राप्त होने पर उनके द्वारा जवाबदावा पेश किया गया तथा दावे व जवाबदावे तथा दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय ने 5 तनकियात कायम की। वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य पेश की तथा मौखिक रूप से गवाहों के बयान दर्ज करवाये। दोनों पक्षों के मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा समस्त तनकियों पर विरचना करते हुए विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 17—6—2002 द्वारा वादीगण का दावा स्वीकार कर लिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रत्यर्थीगण/ प्रतिवादीगण ने भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27—7—2004 द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17—6—2002 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है।

3— हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4— विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपील–मीमों में अंकित अपील आधारों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा संवत 2012 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय से होना माना है। अपीलांट विवादित भूमि पर गुलाबाराम के समय से ही काश्त करते आ रहे थे। गुलाबराम की विवादित भूमि यदि खुदकाश्त की मानी जावे तो भी अपीलार्थीगण उसके सहकृषक थे। इस कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत विवादित भूमि के स्वतः ही अपीलार्थीगण खातेदार हो गये थे। इस प्रकार उन्होंने धारा 15 व 19 को ध्यान में रखते हुए आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थीगण ने जो दस्तवेजी साक्ष्य पेश किये उनसे यह साबित है कि विवादित भूमि पर वे काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है एवं सरकार को लगान भी अदा करते आये हैं। लेकिन इस तथ्य की ओर अपीलीय न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया है। अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज पर अपना विश्लेषण एवं विवेचन नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने न तो सभी तनकियों पर पृथ्क–पृथ्म अपना मत अभिव्यक्त करते हुए आदेश 20 नियम 5 सी.पी.सी. के प्रावधान के मद्देनजर अपना निर्णय पारित किया है और न ही अपीलीय न्यायालय ने आदेश 41 नियम 31 सी.पी.सी. के प्रावधानानुसार तनकीवार अपना निर्णय पारित किया है। उनका यह भी कथन है कि यदि जमाबंदी प्रत्यर्थी के नाम से थी तो भी वो विवादित भूमि पर काबिज नहीं होने से उनके समस्त अधिकार धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत समाप्त हो गये थे एवं अपीलांट विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये। अपीलार्थीगण/ वादीगण का विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से चला आने से वे घोषणा का वाद लाने के अधिकारी थे तथा विचारण न्यायालय ने दावा सही रूप से साक्ष्य का विश्लेषण कर प्रत्यर्थी के विरूद्ध डिक्री कर पारित किया है। परन्तु अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य को सही विश्लेषण नहीं किया एवं वास्तविक राजस्व रिकार्ड के इन्द्राज को अन्यथा पढ़कर वादी का वाद निरस्त करने में कानूनी भूल की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27–7–2004 निरस्त फरमाया जावे तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17–6–2002 की पृष्टि की जावे।

5— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय ने 5 तनकियोत कायम की थी जिनमें से तीन मुख्य तनकियों संख्या 1 से 3 का अलग अलग विश्लेषण नहीं कर एक साथ अपना मत अभिव्यक्त किया है जबकि एक–एक तनकी पर अलग अलग अपना निष्कर्ष अंकित करना चाहिए था। तीनों तनकियों को अपीलार्थीगण/ वादीगण अपने पक्ष में कतई साबित नहीं कर पाये है विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड का सही तरह से अध्ययन नहीं कर चिमनाराम का वादग्रस्त भूमि पर संवत 2012 में कब्जा काश्त माना है जबकि प्रतिवादीगण गुलाबराम का विवादित भूमि पर कब्जा संवत 2012 से पूर्व से चला आ रहा है जो दस्तावेजी साक्ष्य से साबित है फिर भी विचारण न्यायालय ने वादीगण के पक्ष में निर्णय व डिक्री पारित किये है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह मत अभिव्यक्त करते हुए सही रूप से अपील खारिज की है कि खसरा गिरदावरी के आधार पर किसी को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता। अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड का गहनता से अवलोकन कर आक्षेपित निर्णय व डिक्री पारित किये हैं जिसमें कोई विधिक अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि नहीं है। हम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावे।

6— उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

7— पत्रावली का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदारशहर ने वाद पत्र व जवाबदावा के आधार पर तनकियां बनाई थी लेकिन उन्होंने पृथ्क–पृथक्क तनकीवार निर्णय नहीं कर तनकी संख्या 1 से 3 तनकियों का निर्णय एक साथ किया है, जो व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के एकदम विपरीत है। तीनों तनकियां प्रमुख हैं और इन पर पृथ्क–पृथ्क विश्लेषण करते हुए पृथ्क–पृथ्क निर्णय पारित किया जाना चाहिए। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय ने महज खसरा गिरदावरी में अंकन को आधार बनाकर वादी का वाद डिक्री किया है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने के वर्ष अर्थात संवत 2012 में जमाबंदी में अंकन को आधार बनाया जाना चाहिए क्योंकि अधिकार विलेख (record of right) जमाबंदी ही है न कि खसरा गिरदावरी। खसरा गिरदावरी व विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार

प्रदान करने का कोई नियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में नहीं है। यह अभिमत राजस्व मण्डल की पूर्ण पीठ ने न्यायिक दृष्टांत 2011 आर0बी0जे0 (18) पेज 387 श्री जगदीश वगैरह बनाम श्री सीताराम व अन्य में निर्धारित किया था। अतः तनकीवार निर्णय करते समय इस अभिमत को ध्यान में रखकर ही निर्णय पारित किया जाना चाहिए। चूंकि परीक्षण न्यायालय ने उक्त दोनों बिन्दुओं पर विधि के प्रावधानों के अनुरूप निर्णय पारित नहीं किया है इसलिए परीक्षण न्यायालय का निर्णय पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

8— प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए यह तो अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते हैं और महज खसरा गिरदावरी में प्रविष्टियों को आधार बनाकर डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। लेकिन जब उन्होंने परीक्षण न्यायालय के निर्णय के विपरीत अपना निर्णय पारित किया है तो उन्हें तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 31 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है इसलिए आक्षेपित निर्णय भी पोषणीय नहीं होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

10— अतः उपर्युक्त विवेचन के उपरांत यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27—7—2004 तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदार शहर जिला चुरू द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17—6—2002 निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदार शहर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक तनकी पर विस्तृत व स्पष्ट निर्णय पारित करें।

उभय पक्ष न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सरदार शहर के समक्ष दिनांक 02—02—2022 को उपस्थित हों।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि शंकर गोयल)
सदस्य

(सी.आर. मीना)
सदस्य